कार्यालय प्रथम अपीलीय अधिकारी, जिला कलेक्टर, दौसा

श्री अशोक कुमार गुप्ता, यादव मशीनरी स्टोर के पास शिव कॉलोनी, वार्ड नं0 29, दौसा राज0

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, दौसा/सिकराय/बसवा/नॉगल राजावतान

अपील सं0 61/2017

निर्णय दिनांक 15.11.2017

संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी अति0 जिला कलक्टर दौसा को दिनांक 21.08.2017 को निम्नानुसार सूचना/नकल हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया।

क्र.सं.	तहसीलका नाम	अवधि	पद का नाम
1.	सिकराय	02.05.83 से 06.01.91 एवं सितम्बर 92 से 11.01.2001	पटवारी
2.	बसवा	01.01.91 से सितम्बर, 92	पटवारी
3.	दौसा	12.01.2001 से दिसम्बर, 2013	पटवारी
4.	नॉगलराजावतान	06.01.2014 से 30.06.2015	भू–अभिलेख निरीक्षक

लोक सूचना अधिकारी, अति0 जिला कलक्टर दौसा द्वारा उनके पत्रांक 876 दिनांक 28.08.17 द्वारा तहसीलदार, दौसा/सिकराय/बसवा/ नॉगलराजावतान को सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा 6 (3) के अंतर्गत प्रा0 पत्र स्थानांतरित करते हुए आवेदक को निर्धारित अवधि में सूचना उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया (पत्र की छाया प्रति पत्रावली में संलग्न है।) आवेदक द्वारा अपनी अपील में मात्र तहसीलदार नॉगल राजावतान से सूचना प्राप्त होना अंकित कर शेष से सूचना दिलवाने हेतु अपील की गई है। इससे स्पष्ट है कि प्रार्थी को वॉछित सूचना/नकल निर्धारित समयावधि में प्राप्त नहीं हुई। इसी से पीडित होकर तहसीलदार, सिकराय/बसवा/दौसा के विरुद्ध यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, दौसा/सिकराय/बसवा को आवेदन पत्र की छाया प्रति प्रेषित कर संबंधित को वॉछित नकल/सूचना उपलब्ध करवाई जाकर जॉच टिप्पणी मॅगवाई गई। उक्त क्रम में तहसीलदार, बसवा द्वारा उनके पत्रांक भू0अ0/2017/4548 दिनांक 06.11.2017 से आवेदक को सूचना भिजवाते हुए प्रति इस कार्यालय को पृष्ठांकित की गयी है। उक्त पत्र के संलग्न प्रमाण–पत्र जुलाई–1992 से जारी किया गया है जबकि आवेदक द्वारा 01.01.91 से सितम्बर,92 तक का जीए–55 चाहा गया है। जो अधूरा है। अतः तहसीलदार बसवा पूर्ण सूचना उपलब्ध करावें। तहसीलदार, सिकराय से वॉछित सूचना नहीं उपलब्ध कराने के विरुद्ध आवेदक द्वारा इस कार्यालय में अपील दायर करने पर अपील सं0 58/17 दर्ज किया जाकर अपील स्वीकार की जाकर उसका निस्तारण दिनांक 08.11.17 को किया जा चुका है। तहसीलदार दौसा से वॉछित सूचना इस कार्यालय को आज तक प्राप्त नहीं हुई। इससे स्पष्ट होता है कि आवेदक को वॉछित सूचना उपलब्ध नहीं करवायी गयी है। सूचना का अधिकार अधिनियम– 2005 के तहत प्राप्त आवेदन पत्र की सूचना संबंधित व्यक्ति को 30 दिवस की समयावधि में उपलब्ध कराने का प्रावधान है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, दौसा/सिकराय/बसवा जिला दौसा को निर्देश दिये जाते है कि अपीलांट को वॉछित सूचना/नकल आदेश प्राप्ति के 07 दिवस के भीतर नियमानुसार उपलब्ध करावें। संबंधित को निर्णय प्रति प्रेषित करें। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(नरेश कुमार शर्मा)
जिला कलेक्टर, दौसा

जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official